LOK SABHA

Saturday, April 27, 1963/Vaisakha 7, 1885 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 1963, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th April, 1963, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

STATEMENT BY MEMBER

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, २३-३-६३ को मैंने अपने वक्तव्य के दौरान में सदन के सामने यह रखा था कि मेरे पास एक डाकुमेंट है जिस पर आडिटर का आब्जेक्शन नोट है कि वह पेमेंट श्री हुमायूं कबिर से वसूल किया जाय, अब तक वसूल हुआ या नहीं उसका फोटो कापी भी मैंने स्पीच के फौरन बाद ही हुमायूं कबिर जी को दे दी। उन्होंने भी उसको देखा और उसका

जवाब इस सदन में दिया, और उसी कागज की चर्चा उन्होंने इस सदन में की। यह ठीक है कि उस कापी के ऊपर जो नोट था वह आडिटर का नहीं था, वह उसके डिवीजनल आफिसर का था :

"The cost of the material may be recovered from Mr. Humayun Kabir."

अंग्रेजी न जानने की बिना पर मैंने उस को गलती से कह दिया था कि वह आडिटर का नोट है। यह गलती मैंने ही नहीं की, यह गलती तो मिनिस्टर साहब ने भी की। उन्होंने उसको देखा लेकिन उस वक्त यह जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने भाषण दिया तो उस वक्त जवाब में यह नहीं कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है। अपने रिप्लाई में उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया, हालांकि वह प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, सारी बात है। उन्होंने उसको मुझ से ले लिया लेकिन इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया, न इसके जवाब में यह कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है बल्कि यह तो पर्चेज का कोई बिल है। यह जो आडिटर और डिवीजनल अफसर का अन्तर है यह तो मेरे अंग्रेजी न जानने की बिना पर हुआ, लेकिन यह नोट आडिटर का था या उसके डिवीजनल अफसर का था, इससे बुनियाद में कोई अन्तर नहीं हुआ। मैंने कहा था कि यह रकम अब तक वसूल हुई या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तारीख को नोट लिखा गया था और आफिसर का नोट था, उस तारीख तक यह वसूल नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार लेबोरेटरी है, उस के अन्दर अगर मिनिस्टर साहब अपना प्राइवेट काम करवायें .....